



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.: --

Date: 22/04/2021

कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मंजूर करना

प्रेस विज्ञप्ति
PRESS RELEASE

कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मंजूर करना
Granting cashless facility for treatment of Covid-19

ऐसी कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ अस्पताल पॉलिसीधारकों को, इसकेबावजूद कि वे अपनी पॉलिसी के अंतर्गत कैशलेस इलाज के हकदार हैं, कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मंजूर नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ बीमाकर्ताओं ने अस्पतालों के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध करने के लिए कोई व्यवस्था की हुई है, ऐसे अस्पताल कोविड-19 के इलाज सहित सभी इलाजों के लिए कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने को बाध्य हैं।

There are some reports that some hospitals are not granting cashless facility for treatment of Covid-19 despite policyholders being entitled for the cashless treatment under their Policy. In this regard, it is clarified that where insurers have an arrangement with the hospitals for providing cashless facility, such network hospitals are obligated to provide cashless treatment for all treatments including treatment for COVID-19.

सभी नेटवर्क प्रदाता (अस्पताल) जिन्होंने साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ सेवा स्तर समझौता (एसएलए) पर हस्ताक्षर किये हैं उन्हें, एसएलए के सहमत प्रावधानों और पॉलिसी संवर्धन के नियम और शर्तों के अनुसार कोविड-19 सहित पॉलिसीधारकों को किसी भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा अविनायक रूप से उपलब्ध कराना होगा।

All the Network Providers (hospitals) who have signed Service Level Agreements (SLA) with general and health insurers have to mandatorily provide cashless facility for any treatment to the policyholders including Covid-19 treatment in accordance with agreed provisions of SLA and terms and conditions of policy contract.

इसलिए सभी पॉलिसीधारक ऐसे उन सभी नेटवर्क प्रदाताओं (अस्पतालों) के पास, जिनके साथ बीमा कंपनी/टीपीए ने कोई समझौता किया है कैशलेस सुविधा के हकदार हैं, कैशलेस इलाज का लाभ उठाएंगे।

Therefore all policyholders that are entitled to cashless facility at all such network providers (hospital) with whom the Insurance company/TPA has entered into an agreement shall avail the benefit of cashless treatment.

किसी ऐसे सूचीबद्ध नेटवर्क प्रदाता (अस्पताल) द्वारा कैशलेस सुविधा से इनकार करने की स्थिति में पीड़ित पॉलिसीधारक संबंधित बीमा कंपनी को एक शिकायत भेज सकते हैं। बीमा कंपनियों के शिकायत विचारण अधिकारियों के विवरण और ई-मेल आईडी बीमाकर्ताओं के वेबसाइट या निम्न लिखित लिंक से प्राप्त किये जा सकते हैं:

In the event of denial of cashless facility at any such enlisted network providers (hospitals) the aggrieved policyholders may send a complaint to the concerned insurance company. The details and email ids of Grievance redressal officers of insurance companies can be accessed from the website of the insurers or at the following link:

[Click Here](#)

बीमा कंपनियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अस्पतालों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर यह सुनिश्चित करें कि उनकी सूची में शामिल सभी नेटवर्क प्रदाताओं के पास कैशलेस सुविधा सहज रूप से उपलब्ध रहती है।

Insurance companies have also been directed to ensure smooth availability of cashless facility with all the network providers (hospitals) empaneled with them by actively interacting with the hospitals.